रामदेव चौधरी बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्याः 258 / 2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 423 / 1 रकबा 0.10 है0, खसरा न0 424 / 1 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 425 / 1 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 426 / 1 रकबा 0.30 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबन्दी मे वर्णित रकबे के अनुसार रकबा बरारी कर नक्शाट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाके कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 423 / 1 रकबा 0.10 है0, खसरा न0 424 / 1 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 425 / 1 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 426 / 1 रकबा 0.30 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबन्दी मे वर्णित रकबे के अनुसार रकबा बरारी कर नक्शाट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थीगण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 210 के खसरा नम्बरान् 423 / 1, 424 / 1, 425 / 1, 426 / 1 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 212 के खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426 के रकबा को रकबा मुताबिक नक्शे में दुरूस्त करे यदि खाता संख्या 212 के खसरा नम्बरान् 423, 424, 425, 426 के रकबे में वृद्धि बाबत् एवं खाता संख्या 210 के खसरा नम्बर 423 / 1, 424 / 1, 425 / 1, 426 / 1 के [illegible] के अनुसार नक्शा ट्रेस में 0.08 ऐयर कम है, खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 423 से 426 के रकबे अनुसार नक्शे को [illegible] करे। यदि प्रार्थी के प्रस्तावित 0.08 ऐयर इसका रकबा न[illegible] में ज्यादा हो तो संलग्न नक्शे अनुसार उनकी तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। **उपखण्ड अधिकारी** **जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:40:23 IST
Reason: SelfAttested